न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री छगनलाल गोयल, आर.ए.एस.

प्रथम राजस्वअपील संख्या — 42/2017

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
घेवाराम गोदपुत्र कानाराम, कौम मेघवंशी, साकिन दीगांव, तहसील व जिला जालोर		1.धरमा पुत्र दीपाजी, कौम मेघवंशी, 2.वोगा पुत्र दीपाजी, कौम मेघवंशी, 3.कुयाराम पुत्र पदमाजी,कौम मेघवंशी, साकिन दीगांव, तहसील व जिलाजालोर 4.उदी पुत्री पदमाजी,पत्नि लच्छाजी, कौम मेघवंशी, साकिन नबी, तहसील व जिला जालोर 5.मगनाराम पुत्र बाबुरामजी 6.आदाराम पुत्र बाबुरामजी, 7.सुरेशकुमार पुत्र बाबुरामजी 8.सायती पुत्री बाबुरामजी 9.धनकी देवी पत्नि बाबुरामजी 10.सायती पुत्री बाबुरामजी, नाबालिंग जरिये कुदरती वली माता धनकीदेवी पत्नि बाबुरामजी 11.नाथाराम पुत्र जोधारामजी 12.सोनिया पुत्र उकाजी(फौत) के कायम मुकाम वारिसान:– 12/1.चुनाराम पुत्र सोनियाजी 12/2. मालाराम पुत्र सोनियाजी 13.आम्बा पुत्र उकलाजी 14.कालीया पुत्र उकलाजी 15.गोपाराम गोदपुत्र लसीयाजी समस्त कौम मेघवंशी ,साकिनान दीगांव, तहसील व जिला जालोर 16.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालोर

अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश तहसीलदार जालोर दिनांक 16.11.2010

उपस्थिति :–
1-श्री भंवरलाल सोलंकी,अभिभाषक,अपीलांट की ओर से।
2.श्री अनिलकुमार, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट सं.1 से 11व2/1,14,15 की ओर से।
3.श्री छोटूसिंह, सरकारी अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट सं.16 की ओर से।
4.रेस्पोडेन्ट सं.12/2 व 13 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 31.10.2019

1. अपीलांट के अनुसार अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि सरहद मौजा दी गांव, तहसील व जिला जालोर में स्थित वर्तमान खसरा नम्बर 423 रकबा 0.90 हेक्टर, 424 रकबा 0.81 हेक्टर,425 रकबा0.80 हेक्टर, 426 रकबा 0.01 हेक्टर, 427 रकबा 0.91 हेक्टर, 479रकबा 0.44 हेक्टर,480 रकबा 0.45 हेक्टर, 481 रकबा 0.42 हेक्टर, 482 रकबा 0.42 हेक्टर कुल खसरा नम्बर9 कुल रकबा 5.16 हेक्टर की आई हुई है जिसके खातेदार अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं.1 से लगायत 15 राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी,अपीलांट का इस आराजी में 1/4 हिस्सा दर्ज था,अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के बीच आपसी बंटवाडा के बीच तहसीलदार जालोर द्वारा एक बंटवाडा दिनांक 16.11.2010 को निष्पादित किया गया जिसमें अपीलांट को 1.22 हेक्टर भूमि , रेस्पोडेन्ट सं. 1 से लगायत 4 को 1.34 हेक्टर भूमि, रेस्पोडेन्ट सं. 5 से लगायत 9 को 1.26 हेक्टर भूमि ,रेस्पोडेन्ट सं. 10 से लगायत 15 तक को 1.34 हेक्टर भूमि बंटवाडा में दी गई तथा उसी आधार पर बंटवाडा करते हुए नामान्तरकरण सं. 260दिनांक 16.11.2010 को पारित किया गया जिसकी जानकारी अपीलांट को दिनांक 11.10.2017 को हुई जिस पर अपीलांट ने नकलो हेतु आवेदन किया ,नकल बंटवाडा की नहीं मिली, जमाबंदी ,नामान्तरकरण की नकल दिनांक 11.10..2017को मिलने पर अपील पेश की है। अधिनस्थ न्यायालय ने गलत रूप से बंटवाडा आदेश पारित किया गया है, अपीलांट के पक्ष में कुल भूमि 1/4 हिस्सा की खातेदारी है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 15 के पक्ष में ज्यादा भूमि दी है तथा अव्वल तो अपीलांट ने कोई बंटवाडा किया ही नही है, अपीलांट ने कभी भी तहसील कार्यालय जालोर में आकर अपने अंगुष्ठ निशान किये ही नही है तथ न ही तहसीलदार के सामने अंगुष्ठ निशान किये है, रेस्पोडेन्ट सं. 1 से लगायत 4 ने यह बात बताई थी कि उनके द्वारा खातेदारी भूमि में सहकारी भूमि विकास बैंक से ऋण लेना है क्योंकि

सामलाती खातेदारी राजस्व रेकर्ड में दर्ज है इसलिए सहमति तौर पर अंगुठा करना है, अपीलांट ने विश्वास में रहकर हस्ताक्षर किये है परन्तु बंटवाडा में जो हस्ताक्षर निशान है वह अपीलांट का नहीं है, रेस्पोडेन्ट सं.1 से लगायत 15 के पक्ष में बंटवाडा निष्पादित गलत रूप से करवाया है और अपीलांट को कम भूमि दी है तथा तहसीलदार जी ने धारा 53 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत् बंटवाडा नही किया है तथा बिना किसी आधार के बंटवाडा निष्पादित किया है उसे हर सूरत में निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने बंटवाडे की भूमि अलग अलग खसरे में दी गई है जबकि होना यह चाहिये कि एक ही चक में कृषि भूमि दी जानी चाहिए। बंटवाडा आदेश बिना आपसी सहमति से पारित किया जाने से हर सूरत में निरस्त किये जाने योग्य है,अधिनस्थ न्यायालय ने मौके पर काबिज एवं मौका स्थिति को ध्यान में रखकर बंटवाडा नही किया है। पूर्व में आज से करीब 30 वर्ष पूर्व बंटवाडा किया था उसकी भी अनदेखी कर बंटवाडा आदेश पारित करने में कानूनी व वाक्याती भूल की है। अपीलांट की जो पहचान दी है वह भी गलत है, अपीलांट कभी भी तहसीलदार के रूबरू अंगुठा नही किया है। अपीलांट को बंटवाडे की जानकारी उस समय हुई जब रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगायत 15 सभी एकराय होकर जेसीबी से दिनांक 11.10.2017 को इकट्ठा होकर आये और खसरा नम्बर 423 लगायत 427 व खसरा नम्बर 479 से लगायत 482 के बीच धोरापाली करने की कोशिश की तब अपीलांट ने सभी के सामने हाथाजोडी की वहां से रवाना किया, तब अपीलांट ने तहसील कार्यालय से बंटवाडा नकल हेतु आवेदन दिनांक 11.10.2017को किया जो बंटवाडा पत्रावली नहीं होने से आवेदन अस्वीार करने पर अस्वीकार आवेदन की नकल मांगी जो दिनांक 31.10.2017को मिली तथा अपना खाता केन्द्र से चालू जमाबंदी की नकल दिनांक 6.11.2017 को मांगी ,तहसील कार्यालय से जमाबंदी संवत् 2066से 2068की दिनांक 8.11.17को मांगी,सदरकानूनंगो से नामानतरकरण संख्या 260 दिनांक 16.11.10 की नकल दिनांक 9.11.17को मांगी जो दिनांक 10.11.17को मिली,इसलिए नकल मिलने से जानकारी हुई। जानकारी की तिथी से अपील अन्दर म्याद शुमार करावे इस हेतु धारा 5म्याद अधिनियम प्रार्थनापत्र अपील के साथ प्रस्तुत है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर तहसीलदार जालोर का आदेश कमांक /राज./10/ दिनांक 16.11.10 निरस्त करावे तथा पुनः कृषि भूमि का बंटवाडा करने हेतु तहसीलदार जालोर को प्रकरण भेजा जावे। अपीलांट ने अपील के साथ शपथपत्र , धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र

तथा फहरिस्त के साथ आवेदन पत्र की नकल, जमाबंदियो की नकले एवं नामान्तरकरण सं. 260 की नकल तथा बंटवाडा आदेश की नकल से छुट हेतु धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश किया , इस पर अपील दर्ज कर रेस्पोडेन्टगण को सम्मन जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया।

2. अपीलांट के धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थनापत्र के खण्डन में रेस्पोडेन्टगण की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया है।

3. अपीलांट के प्रार्थनापत्र का रेस्पोडेन्ट सं. 1 से लगायत 7 व 9 से 11, 12(1), 14, 15 की ओर से जवाब दिनांक 12.7.18को पेश किया कि कुल खसरा नम्बर 9 रकबा 5.16 हेक्टर की उक्त खातेदारी भूमि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 15 की राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी, अपीलांट का इस आराजी में से 1/4 हिस्सा दर्ज था, तहसीलदार जालोर द्वारा दिनांक 16.11. 2010को एक बंटवाडा निष्पादित किया जिसमें अपीलांट को 1.22 हेक्टर भूमि, रेस्पोडेन्ट सं. 1 से लगायत 4 को 1.34 हेक्टर भूमि, रेस्पोडेन्ट सं. 5 से लगायत 9 को 1.26 हेक्टर भूमि ,रेस्पोडेन्ट सं. 10 से लगायत 15 तक को 1.34 हेक्टर भूमि बंटवाडा में दी गई जो स्वीकृत तथ्य है और आपसी सहमति से बंटवाडा नहीं किया गया है क्योंकि सभी खातेदारों को समान रूप से भूमि नहीं दी गई है एवं कब्जा काश्त मौके पर काबिज के हिसाब से भूमि का बंटवाडा नहीं किया गया है,इस बंटवाडा आदेश को निरस्त किया जावे तो हम रेस्पोडेन्ट सभी सहमत हैं एवं नये सिरे से मौके पर कब्जा अनुसार, समान भूमि का रकबा अनुसार बंटवाडा हेतु तहसीलदार जालोर को आदेश प्रदान करावे।

4. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलांट के अभिभाषक ने अपील प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व बताया कि अपीलांट की अपील स्वीकार कर तहसीलदार जालोर का आदेश दिनांक 16.11.17(क्रमांक /राज./10) निरस्त करावे व पुनः बंटवाडा हेतु प्रकरण तहसीलदार जालोर को भेजा जावे। रेस्पोडेन्ट सं.1 से 11व 2/1, 14, 15 के वकील अपने जवाब प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व बताया कि तहसीलदार जालोर का आदेश क्रमांक/राज./10 दिनांक 16.11.10 निरस्त करावे व प्रकरण तहसीलदार जालोर को रिमाण्ड करावे।

5. बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया। उक्त विभाजन प्रशासन गांवो क संग अभियान 2010 के तहत् तहसीलदार जालोर द्वारा स्वीकार किया गया। विभाजन हेतु प्रस्तुत मूल प्रार्थनापत्र ,मूल नजरी नक्शा उपलब्ध नहीं करवाया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार चारो पक्षकारान् को क्रमशः 1.34 हेक्टर,1.34 हेक्टर,1.24 हेक्टर,1.22 हेक्टर भूमि विभाजन में दी गयी है जिसका लगान क्रमशः9.74, 3.99, 9.63, 3.66 रूपये है।

उक्त विभाजन पर दोनो पक्षकारान् द्वारा आपत्ति की गयी है तथा कब्जा काश्त तथा मौके पर कब्जे की स्थिति के अनुसार विभाजन नहीं करने की शिकायत की गयी है तथा बंटवाडा आदेश को निरस्त कर नये सिरे से मौके पर कब्जे के अनुसार व समान भूमि का रकबा अनुसार विभाजन करने का आदेश तहसीलदार जालोर को प्रदान करने हेतु निवेदन किया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य है।

आदेश

अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार जालोर का आदेश दिनांक 16.11.2010(क्रमांक/राज./स्पे.1) निरस्त किया जाता है व प्रकरण तहसीलदार जालोर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि दोनो पक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर नियमानुसार पुनः निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

निर्णय,आज दिनांक 31.10.2019को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Chhagan Lal Goyal
Date: 2019.12.23 15:03:21 IST
Reason: SelfAttested
Location: